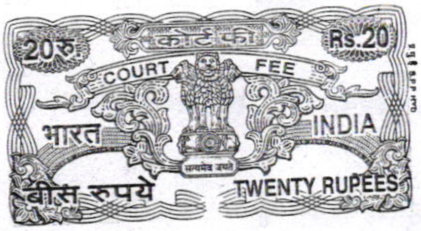

55

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 पुनरीक्षण

निगरानी- 4256/2018/ग्वालियर/भू.सं.

1. अमर सिंह
2. मुख्त्यार सिंह
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण प्रीतम सिंह
4. दिलीप सिंह
5. सुखदेव सिंह
6. सोबरन सिंह
7. लखवीर सिंह पुत्रगण करनेल सिंह

निवासीगण ग्राम–झाडोली
तहसील–डबरा, जिला–ग्वालियर

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला–ग्वालियर
2. ग्वालियर एग्रीकल्चर कम्पनी डबरा
   जिला–ग्वालियर द्वारा संचालक

अपर आयुक्त जिला–ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ–90/बी–3/2016–17 में की जा रहीं कार्यवाहीं एवं आदेश पत्रिका दिनांक 16/05/2018 तथा 28/06/2018 के पुनरीक्षण हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–42 म.प्र. कृषक खातो की अधिकतम जोत सीमा अधिनियम 1960.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4256/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-8-2018	आवेदकगण की ओर से श्री एस.के. बाजपेयी एवं श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषकगण उपस्थित । उन्हें सुना गया । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण से संबंधित एक अन्य प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/गौ.ख./2018/0064 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4-7-2018 को आदेश पारित कर मूल प्रकरण में सुनवाई किये जाने के आदेश दिये गये हैं, अत: उक्त प्रकरण के अनुसार इस प्रकरण में भी मूल प्रकरण में सुनवाई किये जाने के आदेश दिये जायें । आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचारोपरांत प्रकरण इस निर्देश के साथ समाप्त किया जाता है कि अपर आयुक्त मूल रिकार्ड का अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करें तथा आवेदकगण की आपत्ति पर रिकार्ड के अनुसार स्पष्ट निर्णय लेकर अग्रिम कार्यवाही करें । अध्यक्ष	